Order Sheet [Contdl

CaseNo.....78.....of 2022

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<u>प्रकरण आज दिनांक–09.03.2024 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में खंडपीठ क0 21 के समक्ष प्रस्तुत</u> **संजीव वि. भारत एस.सी.एन.आई.ए.78/22** परियादी सहित अधिवक्ता श्री सतीप श्रीवास्तव उप0। अभियुक्त सहित अधिवक्ता श्री आर.एस. ठाकुर उप0। प्रकरण नेशनल लोक अदालत में राजीनामा आवेदन पत्र पर विचार हेतु नियत है। इसी स्तर पर परियादी एवं अभियुक्त द्वारा राजीनामा आवेदन अंतर्गत धारा 147 परक्राम्य लिखत अधिनियम प्रस्तुत किया गया। परियादी अधिवक्ता द्वारा राजीनामा पर विचार किये जाने तथा न्यायशुल्क वापस लौटाये जाने का निवेदन किया। उभयपक्ष को सुना गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। परियादी द्वारा हस्तगत परिवाद अंतर्गत धारा 138 पराक्म्य लिखत अधिनियम अभियुक्त के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया हैं। अभियुक्त पर आरोपित अपराध शमनीय प्रकृति का है। उभयपक्ष से पूछे जाने पर उनके द्वारा स्वैच्छापूर्वक विना किसी भय व दवाव के राजीनामा किया जाना वताते हुए, मधुर संवंध स्थापित हो जाना भी वताया है, नेशनल लोक अदालत के माध्यम से मामले का निराकरण चाहा है। न्यायालय द्वारा उभयपक्षों से पूछताछ की गयी। परियादी द्वारा स्वेच्छया पूर्वक राजीनामा करना एवं अभियुक्त द्वारा परियादी की पूर्ण संतुष्टि करना व्यक्त किया है। परियादी की पहचान अधिवक्ता द्वारा की गयी। इसी स्तर पर अभियुक्त अधिवक्ता द्वारा न्यूनतम शमन शुल्क अधिरोपित किये जाने का निवेदन किया गया। <u>माननीय शीर्ष न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत दामोदर एस प्रभु वनाम सययद वावालाल (2010) 5 एस0सी0सी0 663</u> मे यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि, आरोपी के उपस्थिति के पश्चात नियत दो तिथियो पर राजीनामा न होने पर आरोपी पर चेक राशि की दस प्रतिशत तक की परिव्यय राशि न्यायालय के विवेक अनुसार अधिरोपित की जा सकती है।	

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary

आरोपी ने अपनी आर्थिक असमर्थता के कारण ही परिवादी को राशि का भुगतान करने मे विलंब कारित होना व्यक्त किया है, उक्त तथ्य की पुष्टि स्वयं परिवादी द्वारा भी की गई है। आरोपी द्वारा नेशनल लोक अदालत के उद्देश्यो के अनुपालन में राशि जमा कर प्रकरण का निराकरण नेशनल लोक अदालत के माध्यम से किया जाना व्यक्त किया।ऐसी दशा में आरोपी को अधिकतम शमन शुल्क से मुक्ति प्रदान कर केवल 100/—रूपये शमन शुल्क अधिरोपित किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः आरोपी पर 100/— रूपये शमन शुल्क अधिरोपित की जाती है।

उभयपक्ष ने नेशनल लोक अदालत के माध्यम से मामले का अंतिम निराकरण चाहा है, नेशनल लोक अदालत के माध्यम से निराकृत मामले मे उभयपक्ष के मध्य आपसी वैमनस्यता विद्वेष के भावना समाप्त होने और उनके मध्य मधुर संबंध स्थापित हो जाने की संकारात्मक सोच की पहल है।

फलतः प्रस्तुत राजीनामा आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है, स्वीकार कर अंतर्गत धारा—138 परकाम्य लिखत अधिनियम के अपराध का शमन कर आरोपी **भारत सिंह पिता त्रिलोक सिंह** को धारा—138 परकाम्य लिखत अधिनियम के आरोप से **दोषमुक्त** किया जाता है।

आरोपी द्वारा निष्पादित नियमित प्रतिभूति बंधपत्र भारमुक्त किये जाते है।

प्रकरण का निराकरण लोक अदालत मे होने से परिवादी द्वारा प्रदत्त न्यायशुल्क विधि अनुसार वापस की जाने हेतु पृथक से प्रमाण पत्र जारी किये जावे।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी/सी.आई.एस. मे दर्ज कर विहित समयावधि मे अभिलेखागार भेजा जावे।

(एस.पी. सोनी)
खण्डपीठ कमांक 21
पीठासीन सदस्य
गैरतगंज, रायसेन म0प्र0

(मनीष रघुवंशी)
खण्डपीठ कमांक 21
जे0एम0एफ0सी0
गैरतगंज, रायसेन म0प्र0